

भारत की शहर-प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2023

प्रलिमिस के लिये:

भारत की शहर-प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण 2023, [स्थानीय सरकारें, पंचायती राज संस्थान \(PRI\)](#), 74वाँ संशोधन अधिनियम।

मेन्स के लिये:

भारत की शहर-प्रणालियों का वार्षिक सर्वेक्षण 2023, वभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियों और हस्तक्षेप व उनके डिज़िग्न एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

स्रोत: द हैट्रिक

चर्चा में क्यों?

एक गैर-लाभकारी संस्थान जनागरह सेंटर फॉर स्टिज़िनशपि एंड डेमोक्रेसी द्वारा प्रकाशित भारत के स्टी-स्सिट्स (ASICS) 2023 का वार्षिक सर्वेक्षण भारतीय शहरों में स्थानीय सरकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है।

ASICS रपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- पूर्वी राज्यों में बेहतर शहरी कानून:
 - पूर्वी राज्यों, जिनमें बहिर, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल हैं, में दक्षिणी राज्यों के बाइप्रैक्शाकृत बेहतर शहरी कानून मौजूद हैं।
- पारदर्शता की कमी:
 - शहरी विधान सार्वजनिक डोमेन में सुलभ प्रारूप में उपलब्ध नहीं हैं। केवल 49% राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने संबंधित राज्य शहरी विभागों की वेबसाइटों पर नगरपालिका कानून प्रदर्शित किये हैं।
- सक्रिय मास्टर प्लान का अभाव:
 - भारत में राज्यों की लगभग 39% राजधानियों में सक्रिय मास्टर प्लान का अभाव है।
- स्थानीय सरकारों का वित्त पर सीमति नियंत्रण:
 - भारतीय शहरों में अधिकांश स्थानीय सरकारें वित्तीय रूप से अपनी संबंधित राज्य सरकारों पर निभिर हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता सीमति हो गई है।
 - भारतीय शहरों में स्थानीय सरकारों का कराधान, उधार और बजट अनुमोदन सहित प्रमुख वित्तीय मामलों पर सीमति नियंत्रण है, ज्यादातर मामलों में राज्य सरकार की स्वीकृतिकी आवश्यकता होती है।
 - केवल असम ही अपनी शहरी सरकारों को सभी प्रमुख कर वसूलने का अधिकार देता है। पाँच राज्यों- बहिर, झारखण्ड, ओडिशा, मेघालय और राजस्थान को छोड़कर- अन्य सभी की शहरी सरकारों को धनराशिधार लेने से पूर्व राज्य से स्वीकृति लेनी होगी।
- शहरी श्रेणियों में विभिन्नता:
 - वभिन्न शहरी श्रेणियों में वित्त पर प्रभाव और नियंत्रण के स्तर में असमानताएँ हैं, जिनमें मेगास्टी (>4 मलियन जनसंख्या), बड़े शहर (1-4 मलियन), मध्यम शहर (0.5 मलियन-1 मलियन), छोटे शहर (<0.5 मलियन) शामिल हैं।
 - मेगास्टी में मेरर सीधे चुने जाते हैं और उनका कार्यकाल पाँच वर्ष का नहीं होता है, जबकि छोटे शहरों में मेरर सीधे चुने जाते हैं लेकिन शहर के वित्त पर उनका अधिकार सीमति होता है।

Percentage of cities...	Mega	Large	Medium	Small	Total
with a five-year mayoral tenure	38%	68%	67%	84%	83%
with a directly elected Mayor	0%	39%	33%	36%	36%
that can approve the city budget	75%	34%	40%	11%	12%
that can borrow without the prior sanction of the State	13%	16%	12%	15%	15%
that can invest without the prior sanction of the State	75%	63%	40%	42%	42%
that have complete power over their staff	0%	0%	0%	0%	0%
that can levy all key taxes	0%	0%	2%	0%	2%
Average no. of functions devolved by law (number)	11	8	13	11	9
Total population (in mn)	57.84	57.88	28.93	173.9	318.5

Mega cities (>4 million population), large cities (1-4 million), medium cities

II ($5,000,000-1$ million), small cities ($<5,000,000$)

- **कर्मचारियों की नयिकृतियों पर सीमति अधिकार:**
 - मेर्या और नगर परिषदों के पास वराषिट प्रबंधन टीमों सहित कर्मचारियों की नयिकृतितथा पदोन्नति से संबंधित सीमति अधिकार हैं, जिससे जवाबदेही तथा कुशल प्रशासन में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।
 - **वित्तीय पारदर्शता चुनौतियाँ:**
 - त्रैमासिक वित्तीय लेखापरीक्षण विवरणों की कमी और वार्षिक लेखापरीक्षण वित्तीय विवरणों के सीमति प्रसार के कारण भारतीय शहरों को वित्तीय पारदर्शता में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह समस्या बड़े शहरों में अधिक है।
 - देश के केवल 28% शहर ही अपने वार्षिक लेखापरीक्षण वित्तीय विवरण प्रसारित करते हैं। यदि केवल मेगास्टी पर विचार किया जाए तो यह संख्या और भी कम होकर 17% हो जाती है।
 - जबकि बड़े शहर अपने शहर का बजट प्रकाशित करते हैं, छोटे शहर पछिड़ जाते हैं और उनमें से केवल 40% - 65% ही उस जानकारी को प्रकाशित करते हैं।
 - **स्टाफ की कमी:**
 - भारत के नगर नगिमों में 35% पद खाली हैं। नगर पालिकाओं में 41% पद रकित होने और नगर पंचायतों में 58% पद रकित होने से रकित उत्तरोत्तर बदतर होती जा रही है।
 - **वैश्वकि महानगरों के साथ तुलना:**
 - न्यूयॉर्क, लंदन और जोहान्सबर्ग जैसे वैश्वकि महानगरों के साथ तुलना करने पर प्रत्येक लाख आबादी पर शहर के कर्मचारियों की संख्या तथा इन शहरों को दी गई प्रशासनिक शक्तियों में महत्वपूर्ण अंतर दर्खिाई देता है।
 - प्रत्येक एक लाख की आबादी पर न्यूयॉर्क में 5,906 और लंदन में 2,936 शहरी कर्मचारी हैं, जबकि गिलरु में इनकी संख्या केवल 317, हैदराबाद में 586 और मुंबई में 938 है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों को भी कर लगाने, अपने स्वयं के बजट को मंजूरी देने, नविश करने और अनमोदन के बनि उधार लेने का अधिकार दिया गया है।

स्थानीय सरकार:

- **परचिय:**
 - स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय नकियों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जो स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए हैं।
 - स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी दोनों सरकारें शामिल हैं।
 - यह सरकार का तृतीय स्तर है।
 - इस संचालन में 2 प्रकार की स्थानीय सरकारें हैं - ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाएँ।
 - **ग्रामीण स्थानीय सरकारें:**
 - **पंचायती राज संस्था (PRI)** भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है।
 - जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का नरिमाण करने के लिये **73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम**, 1992 के माध्यम से PRI को संवैधानिक बनाया गया और देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।
 - **शहरी स्थानीय सरकारें:**
 - **शहरी स्थानीय सरकारें** की स्थापना लोकतंत्रकि विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से की गई थी।
 - भारत में आठ प्रकार की शहरी स्थानीय सरकारें हैं- नगर नगिम, नगर पालिका, अधस्थिति क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, टाउनशपि, पोर्ट ट्रास्ट तथा विशेष प्रयोजन एजेंसी।
 - शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित 74वाँ संशोधन अधिनियम पी.वी. नरसमिहा राव की सरकार के शासनकाल के दौरान पारित किया गया था। यह 1 जून, 1993 को लागू हुआ।
 - इसमें भाग IX-A को जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243-P से 243-ZG तक प्रावधान शामिल हैं।

- संवधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पालकियों के 18 कार्यात्मक अनुच्छेद शामिल हैं जो अनुच्छेद 243 W से संबंधित हैं।

भारतीय शहरों में स्थानीय शासन को बढ़ाने हेतु आवश्यक कार्य:

- **राजकोषीय स्वायत्तता का सुदृढ़ीकरण:**
 - स्थानीय सरकारों को करों की एक वसितृत शृंखला एकत्र करने के लिये सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे क्षेवतंत्र रूप से राजसव एकत्रति कर सकें। स्थानीय सरकारें उधार प्राप्त करने के लिये बेहतर ढंग से प्रबंधित नगर पालकियों के लिये राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता को कम करें।
- **प्रशासनिक शक्तियों का विकिंद्रीकरण:**
 - विशेष रूप से नगर नगिम आयुकतों और वरषित प्रबंधन टीमों के लिये प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्तियाँ तथा पदोन्नतिकरने हेतु स्थानीय सरकारों को प्रशासनिक शक्तियाँ सौंपी जानी चाहयि। इनसे शहर मज़बूत, जवाबदेह संगठनों के निर्माण में सक्षम होंगे।
- **पारदर्शता और नागरकि सहभागति:**
 - आंतरकि ऑडिट रपोर्ट, वार्षिक रपोर्ट, बैठकों के मनिट और नियन्य लेने की प्रक्रियाओं सहित नागरकि जानकारी के नियमित प्रकाशन को सुनिश्चित करने के लिये सभी राज्यों एवं केंद्र शासन प्रदेशों में सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून को समान रूप से लागू करने की आवश्यकता है। ऐसी जानकारी तक नागरकियों की आसान पहुँच के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित की जाने चाहयि।
- **वैश्वकि महानगरों से तुलना और सीख:**
 - वित्तीय प्रबंधन, स्टाफगि स्तर और शहरी प्रशासन के लिये सर्वोत्तम प्रथाओं को निर्धारित करने के लिये भारतीय शहरों की वैश्वकि महानगरों से तुलना करने के लिये एक प्रणाली निर्धारित करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से प्रभावी रणनीति अपनाने को बढ़ावा देना चाहयि।
- **नागरकि भागीदारी और प्रतक्रिया:**
 - सार्वजनिक परामर्श, फीडबैक प्रणाली और बजटगि में सहभागति के माध्यम से नागरकि सहभागति को बढ़ावा देना चाहयि। नागरकियों को उनकी चित्तियों और सुझावों को व्यक्त करने के लिये मंच प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे एक अधिक उत्तरदायी स्थानीय सरकार सुनिश्चित हो सके।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
 - प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थिति करने, पारदर्शता में सुधार करने और नागरकियों को ऑनलाइन सेवाएँ प्रदान करने के लिये डिजिटल गवर्नेंस टूल एवं प्लेटफॉर्म को अपनाने की आवश्यकता है। नौकरशाही बाधाओं को कम करने के लिये ई-गवर्नेंस पहल लागू करना भी आवश्यक है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?/?/?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है (2017)

- (a) संघवाद का
- (b) लोकतांत्रिक विकिंद्रीकरण का
- (c) प्रशासनिक प्रत्यायोजन का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)